न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 42/2018 दायर दिनाँक 08.02.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र गोपीराम, 2. सरिता पत्नी स्वर्गीय हीराराम, 3. सुशीला पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 4. नानी पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 5. आरती पुत्री स्वर्गीय हीराराम, नाबालिग प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 तक जरिये संरक्षक कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 02, 6. सरवन पुत्र स्वर्गीय मेघाराम, 7. रामकरण पुत्र गणपत, समस्त,जाति–मेघवाल, 8. कैलाश पुत्र चेनाराम, कौम–बावरी, 9. ताराचन्द पुत्र सुरजाराम, कौम–रैगर, समस्त,जाति–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 11. एस.बी.आई., बैंक शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. आर.एम.बी.जे.,बैंक शाखा–खुनखुना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. आई.सी.आई., बैंक शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 42/2018
दायर दिनाँक 08.02.2018, निर्णय दिनाँक 23.08.2018
लालुराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– **53, 88, 188, R.T.Act.**

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.08.2018**

शरहद मौजा खरेश तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 265 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 17.16 बीघा व खसरा नम्बर 276 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 290 रकबा 02.04 बीघा व खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा, भूमि के घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादी का वाद, दिनाँक 14.06.2018 को प्राथमिक डिक्री सादिर कर विभाजन प्रस्तावित करने का निर्देश तहसीलदार डीडवाना को दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 1754 दिनाँक 21.08.2018 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन क्रमांकः 1754 दिनाँक 21.08.2018 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 42/2018
दायर दिनाँक 08.02.2018, निर्णय दिनाँक 23.08.2018
लालुराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा खरेश तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 265 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 17.16 बीघा व खसरा नम्बर 276 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 290 रकबा 02.04 बीघा व खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा, भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1754 दिनाँक 21.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1754 दिनाँक 21.08.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **23.08.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 42/2018 दायर दिनाँक **08.02.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र गोपीराम, 2. सरिता पत्नी स्वर्गीय हीराराम, 3. सुशीला पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 4. नानी पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 5. आरती पुत्री स्वर्गीय हीराराम, नाबालिग प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 तक जरिये संरक्षक कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 02, 6. सरवन पुत्र स्वर्गीय मेघाराम, 7. रामकरण पुत्र गणपत, समस्त,जाति—मेघवाल, 8. कैलाश पुत्र चेनाराम, कौम—बावरी, 9. ताराचन्द पुत्र सुरजाराम, कौम—रैगर, समस्त,जाति—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक, शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. एस.बी.आई., बैंक शाखा—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. आर.एम.बी.जे.,बैंक शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. आई.सी.आई., बैंक शाखा—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **23.08.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **श्री विरेन्द्रसिंह राठौड़, वकील, वादी** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

दावा डिक्री सादिर कर शरहद मौजा खरेश तहसील डीडवाना के आराजी खसरा संख्या 265 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 17.16 बीघा व खसरा नम्बर 276 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 290 रकबा 02.04 बीघा व खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा, भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1754 दिनाँक 21.08.2018 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 1754 दिनाँक 21.08.2018, निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत..........
..........–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.08.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

कार्यालय तहसीलदार, डीडवाना जिला नागौर (राज0)

क्रमांक :–राजस्व / 18 / 1754 दिनांक :– 21.8.2018

प्रेषित :–

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

डीडवाना।

विषय :– विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बाबत।

प्रसंगः–आपका पत्रांक /रीडर/2018/587 दिनांक 22.06.18 के सन्दर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासांगिक पत्र के सन्दर्भ में पटवारी हल्का खरेश के द्वारा ग्राम खरेश के ख.नं. 265,272,276,289,290,212 का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है।

सलंग्न–विभाजन प्रस्ताव।

तहसीलदार डीडवाना
जिला नागौर (राज.)
तहसीलदार, डीडवाना

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—42—2018 / रीडर / 2018 / 789 दिनाँक 24/8/18

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —अन्तिम निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र गोपीराम, जाति—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित अन्तिम निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना</u>

क्रमांकः–42–2018/रीडर/2018/ 587   दिनाँक 22-6-18

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –प्राथमिक निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति–मेघवाल, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र गोपीराम, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित प्राथमिक निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। प्राथमिक निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 42/2018 दायर दिनाँक 08.02.2018

वादी		प्रतिवादीगण
1. लालुराम पुत्र गणपत, जाति—मेघवाल, निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. रूपाराम पुत्र गोपीराम, 2. सरीता पत्नी स्वर्गीय हीराराम, 3. सुशीला पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 4. नानी पुत्री स्वर्गीय हीराराम, 5. आरती पुत्री स्वर्गीय हीराराम, प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 05 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 02, 6. सरवन पुत्र स्वर्गीय मेघाराम, 7. रामकरण पुत्र गणपत, समस्त,जाति—मेघवाल, 8. कैलाश पुत्र चेनाराम, जाति—बावरी, 9. ताराचन्द पुत्र सुरजाराम, जाति—रेगर, समस्त,निवासी—खरेश, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 10. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 11. एस.बी.आई. शाखा—डीडवाना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 12. आर.एम.बी.जे. बैंक, शाखा—खुनखुना, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. आई.सी.आई. बैंक, शाखा—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 14. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 42/2018
दायर दिनाँक 08.02.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 14.06.2018
लालुराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादी व प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 उपस्थित।

–:: प्राथमिक निर्णय ::–

दिनाँक 14.06.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, शरहद खरेश में खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा, खसरा नम्बर 272 रकबा 17.16 बीघा, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 289 रकबा 01.11 बीघा, खसरा नम्बर 290 रकबा 02.04 बीघा, कुल रकबा 43.07 बीघा वाद व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 ता 05 के पति/पिता, प्रतिवादीगण संख्या 06 ता 08 की खातेदार के तथा खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 05 के पति/पिता तथा प्रतिवादीगण संख्या 06, 07 व 09 की खातेदारी के अवस्थित है। नकल पेश है।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद खरेश के निम्न खसरान् की भूमियों का बन्टवारा नजरीनक्शा अनुसार निम्नानुसार किया जावेः–

1. खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 06 के की जावे।
2. खेत खसरा नम्बर 272 रकबा 17.16 बीघा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 07 के की जावे।
3. खसरा नम्बर 276 रकबा 0.09 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 07 के की जावे।
4. खेत खसरा नम्बर 289 रकबा 01.11 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 08 के की जावे।
5. खसरा नम्बर 290 रकबा 02.04 बीघा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 06 के की जावे।
6. खेत खसरा नम्बर 212 रकबा 21.02 बीघा में से रकबा 0.06 बीघा भूमि की ख़ातेदारी प्रतिवादी संख्या 09 के व शेष भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, व 04 के की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 14 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 42/2018
दायर दिनाँक 08.02.2018, प्राथमिक निर्णय दिनाँक 14.06.2018
लालुराम बनाम् रूपाराम, वगैरा।

वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम खरेश सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 290/261 व 289/260 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–खरेश में प्रकरण पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित। पक्षकारान् वाद में, वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसार प्राथमिक निर्णय किया जाने की मंशा जाहिर कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के अनुसार शरहद मौजा खरेश के वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 सहखातेदारान् हैं तथा विधिवत् बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहे हैं। पक्षकारान् सहखातेदार होने के कारण बन्टवारा करवाने के कानूनन् हकदार हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा प्राथमिक डिक्री सादिर कर, शरहद खरेश में खेत खसरा नम्बर 265 रकबा 21.07 बीघा, 272 रकबा 17.16 बीघा, 276 रकबा 0.09 बीघा, 289 रकबा 01.11 बीघा, 290 रकबा 02.04 बीघा व 212 रकबा 21.02 बीघा भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने का आदेश तहसीलदार डीडवाना को दिया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव में, पक्षकारान् को विभाजन से उनके हिस्सों में आने–जाने हेतु रास्ते की सामुहिक भूमि प्रस्तावित करते हुए, विभाजन प्रस्ताव दौ प्रतियों में तैयार कर, पेश किया जावे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

प्राथमिक निर्णय, आज दिनाँक 14.06.2018 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–खरेश

Scanned by CamScanner